

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय: निजी स्कूल शाखा (पीएसबी)

पुराना सचिवालय: दिल्ली-110054

एफ.डी.ई.15(258)/पीएसबी/ईडब्ल्यूएस/2025-26/2294-2301

दिनांक: 05/03/25

परिपत्र

विषय:- शिक्षा विभाग, एमसीडी और एनडीएमसी द्वारा आरटीई अधिनियम, 2009 और डीएसईएआर, 1973 के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के तहत प्रवेश स्तर (यानी नर्सरी/केजी/कक्षा-1) के छात्रों के दस्तावेजों के सत्यापन और प्रवेश के लिए दिशानिर्देश।

इस निदेशालय के परिपत्र संख्या एफ.डी.ई.15 (258)/ई.डब्ल्यू.एस./पी.एस.बी./2025-26/30-38 दिनांक 03.01.2025 (प्रतिलिपि संलग्न) के क्रम में, सभी संबंधितों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं:

1. प्रवेश स्तर कक्षाओं (नर्सरी/प्री-स्कूल, के.जी./प्री-प्राइमरी, कक्षा-1) में प्रवेश के लिए ई.डब्ल्यू.एस./डी.जी. श्रेणी के छात्रों से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन के लिए कम्प्यूटरीकृत डा दिनांक 05/03/2025 (बुधवार) को आयोजित किया गया है।

अभ्यर्थियों के लिए दिशा-निर्देश:-

1. जिन अभ्यर्थियों को कम्प्यूटरीकृत डा में स्कूल आवंटित किए गए हैं (जिन्हें आगे सफल अभ्यर्थी कहा जाएगा) उन्हें ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के अंतर्गत आवंटित स्कूल और प्रवेश के लिए दस्तावेजों के सत्यापन के स्थान (जिसे आगे दस्तावेज सत्यापन केंद्र कहा जाएगा) के बारे में डा पूरा होने के 24 घंटे के भीतर उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

ऐसे सफल अभ्यर्थियों की सूची विभाग की वेबसाइट यानी www.edudel.nic.in पर अपलोड की जाएगी।

(क) आवेदक विभागीय वेबसाइट www.edudel.nic.in के होम पेज पर उपलब्ध मॉड्यूल 'ईडब्ल्यूएस/डीजी एडमिशन 2025-26' में लिंक 'ईडब्ल्यूएस/डीजी रिजल्ट 2025-26' पर पंजीकरण आईडी और जन्म तिथि का उपयोग करके कम्प्यूटरीकृत डा के माध्यम से आवंटित स्कूल का नाम भी देख सकते हैं।

(ख) यदि आवेदक को स्कूल आवंटित किया गया है, तो स्क्रीन पर आवंटित स्कूल का नाम और दस्तावेज सत्यापन केंद्र का पता दिखाई देगा।

(ग) यदि आवेदक को कोई स्कूल आवंटित नहीं किया गया है, तो स्क्रीन पर "यह खेदजनक है कि आपको डा के माध्यम से नहीं चुना गया है" जैसा संदेश दिखाई देगा।

(घ) यदि आवेदक गलत पंजीकरण आईडी/जन्म तिथि दर्ज करता है, तो स्क्रीन पर "कोई रिकॉर्ड नहीं मिला" जैसा संदेश दिखाई देगा।

2. सफल उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ अनुलग्नक 'ए' में उल्लिखित अनुसूची के अनुसार अपने दस्तावेजों को सत्यापित कराने के लिए दस्तावेज सत्यापन केंद्रों से संपर्क करेंगे -

(1) भरे गए आवेदन के दो प्रिंटाउट

(2) उम्मीदवार की दो तस्वीरें।

(3) बच्चे के आधार कार्ड की दो प्रतियाँ (अनिवार्य नहीं)।

(4) माता-पिता के आधार कार्ड की दो प्रतियाँ।

(5) जन्म तिथि के प्रमाण की दो स्व-सत्यापित फोटोकॉपी

(6) आवासीय प्रमाण की दो स्व-सत्यापित फोटोकॉपी।

(7) ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के लिए दस्तावेजी प्रमाण की दो स्व-सत्यापित फोटोकॉपी, जो भी लागू हो।

(8) कानूनी संरक्षकता की दो स्व-सत्यापित प्रतियाँ (यदि लागू हो)।

माता-पिता/संरक्षक ज़ोन की उप-समिति द्वारा सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज भी अपने पास रखेंगे।

दस्तावेज सत्यापन केंद्र के स्थान का विवरण अनुलग्नक-बी में दिया गया है।

3. यदि सफल उम्मीदवार ईडब्ल्यूएस/डीजी के तहत प्रवेश के लिए दस्तावेजों के सत्यापन के लिए अनुलग्नक-ए में उल्लिखित अनुसूची के अनुसार दस्तावेज सत्यापन केंद्र पर रिपोर्ट करने में विफल रहते हैं, तो ईडब्ल्यूएस/डीजी के तहत प्रवेश के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

4. कंप्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से आवेदक को आवंटित स्कूल को किसी भी परिस्थिति में नहीं बदला जाएगा।

5. यदि दस्तावेजों के सत्यापन के समय सफल उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज किसी भी स्तर पर जाली/नकली या सहायक नहीं पाए जाते हैं, तो बच्चे के स्कूल का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।

उप-समिति/क्षेत्रीय प्राधिकरण के लिए दिशानिर्देश:-

1. सफल उम्मीदवारों के दस्तावेजों के सत्यापन के लिए अपनाई जाने वाली निम्नलिखित प्रक्रिया:

(क) क्षेत्र की उप-समिति एक आदेश जारी करके ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए सफल उम्मीदवारों के नाम की सिफारिश करेगी, जिनके दस्तावेज सही पाए जाएंगे। अनुशंसित उम्मीदवार को 26 मई 2025 को या उससे पहले प्रवेश के लिए आवंटित स्कूल में रिपोर्ट करना होगा। यदि अनुशंसित उम्मीदवार प्रवेश की अंतिम तिथि से पहले रिपोर्ट नहीं करता है, तो ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(ख) इसके अलावा, यदि सफल उम्मीदवारों द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों में कोई विसंगतियां पाई जाती हैं, तो उम्मीदवार को कमी जापन जारी किया जाएगा और उन्हें 11 अप्रैल, 2025 (सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक) को या उससे पहले ईडब्ल्यूएस/डीजी की श्रेणी के तहत प्रवेश के वास्तविक अधिकार का दावा करने के लिए वैध/अद्यतित दस्तावेज जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

(ग) 31 मार्च से 05 अप्रैल 2025 (सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे) के बीच प्रवेश के लिए दस्तावेजों की जांच के लिए रिपोर्ट न किए गए सफल उम्मीदवारों को अंतिम अवसर दिया जाएगा।

(घ) उम्मीदवार के आवंटन की अस्वीकृति के मामले में, जोन की उप-समिति की सिफारिश के आधार पर डीडीई जोन द्वारा आदेश पारित किया जाएगा।

(ङ) यदि, माता-पिता डीडीई जोन द्वारा पारित आदेश से संतुष्ट नहीं हैं, तो माता-पिता 23 अप्रैल से 08 मई, 2025 के बीच डीएमसी में अपील दायर कर सकते हैं। डीएमसी 20 मई तक जांच करेगा और अंतिम आदेश पारित करेगा।

(च) कम्प्यूटरीकृत ड्रा के माध्यम से सफल उम्मीदवार का नाम और आईडी केवल एडुडेल पर संबंधित डीडीई जोन के लॉगिन आईडी में दिखाया जाएगा। इसके अलावा, अनुशंसित उम्मीदवार को एडुडेल पोर्टल पर 'प्रवेशित' के रूप में अपडेट किया जाएगा, अस्वीकृत उम्मीदवार को 'अस्वीकृत' के रूप में और रिपोर्ट नहीं किए गए उम्मीदवार को संबंधित डीडीई जोन द्वारा 'रिपोर्ट नहीं किया गया' के रूप में अपडेट किया जाएगा।

(छ) उप समिति रिकॉर्ड रखने के उद्देश्य से दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान सफल उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की एक फोटोकॉपी अपने पास रखेगी। प्रवेशित उम्मीदवार के संबंधित स्कूल में रिकॉर्ड रखने के उद्देश्य से आवंटित स्कूल में प्रवेश के लिए उम्मीदवार की सिफारिश के आदेश के साथ दस्तावेज की एक फोटोकॉपी संलग्न की जानी चाहिए।

निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल के लिए निर्देश:-

1. निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल को उन सभी उम्मीदवारों की एडुडेल पोर्टल पर 'रिपोर्टेड' स्थिति अपडेट करनी होगी, जिन्हें उप-समिति द्वारा अनुशंसित किया गया है और जिन्होंने प्रवेश की अंतिम तिथि यानी 26/05/2025 को या उससे पहले स्कूल में रिपोर्ट किया है। यदि अनुशंसित उम्मीदवार

प्रवेश की अंतिम तिथि को या उससे पहले रिपोर्ट नहीं करता है, तो स्कूल स्थिति को 'रिपोर्ट नहीं किया गया' के रूप में अपडेट कर सकता है।

2. स्कूल ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के तहत प्रवेशित छात्रों से ट्यूशन फीस नहीं लेगा। इसके अलावा, स्कूलों को जोन की उप-समिति की सिफारिश के अनुसार उम्मीदवार के स्कूल में रिपोर्ट करने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के तहत प्रवेशित प्रत्येक छात्र को मुफ्त किताबें, स्कूल यूनिफॉर्म और लेखन सामग्री प्रदान करनी होगी।

3. स्कूलों को ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के बच्चों के माता-पिता सहित सभी अभिभावकों के लिए एक साथ परिचय सत्र आयोजित करने की सलाह दी जाती है।

4. जोन/डीएएमसी की उप-समिति द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा और अनुशंसित उम्मीदवार को प्रवेश देने के लिए निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों पर बाध्यकारी होगा। जोन की उप-समिति द्वारा की गई जांच के अलावा उम्मीदवार को किसी और जांच के अधीन नहीं किया जाएगा। यदि कोई स्कूल इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो ऐसे स्कूलों के खिलाफ आरटीई अधिनियम 2009 और डीएसईआर अधिनियम, 1973 के मौजूदा नियमों और प्रावधानों के अनुसार उचित समझे जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

सभी संबंधितों के लिए सामान्य निर्देश:-

1. दस्तावेजों के सत्यापन और ईडब्ल्यूएस/डीजी के तहत प्रवेश के संबंध में किसी भी शिकायत के मामले में, पीड़ित अभिभावक शिक्षा निदेशालय, दिल्ली के जिला शिक्षा उप निदेशक के संबंधित कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, जहां समाधान के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। विवरण **अनुलग्नक 'सी'** के रूप में संलग्न किया गया है।

2. एमसीडी के निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों से संबंधित किसी भी शिकायत के मामले में, पीड़ित अभिभावक नगर निगम दिल्ली के संबंधित शिक्षा विभाग से संपर्क कर सकते हैं, जहां उनके संबंधित क्षेत्रों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। विवरण **अनुलग्नक 'डी'** के रूप में संलग्न किया गया है।

3. एनडीएमसी के निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों से संबंधित किसी भी शिकायत के मामले में, सभी पीड़ित अभिभावक नई दिल्ली नगर निगम के संबंधित शिक्षा विभाग से संपर्क कर सकते हैं, जहां नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। विवरण **अनुलग्नक 'ई'** के रूप में संलग्न किया गया है।

4. किसी भी संदर्भ में किसी भी स्पष्टीकरण/शिकायत के लिए, अभिभावक/स्कूल संबंधित उप शिक्षा निदेशक (जिला/जोन) से संपर्क कर सकते हैं। सभी जिला (डीडीई/जोन)/सहायक निदेशक से अनुरोध है कि वे सुनिश्चित करें कि दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान उपरोक्त निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। डीओई/एमसीडी/एनडीएमसी के सभी डीडीई (जिला/जोन) ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के

अभिभावकों की शिकायतों को सुविधाजनक बनाने और उनका निवारण करने के लिए एक हेल्प डेस्क स्थापित करेंगे।

5. इस संदर्भ में किसी भी स्पष्टीकरण/शिकायत के लिए अभिभावक ईडब्ल्यूएस हेल्पलाइन नंबर 9818154069 पर सोमवार से शुक्रवार तक कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।

6. इसके अलावा, सभी उप शिक्षा निदेशक (जिला/जोन)/एनडीएमसी और एमसीडी के सहायक निदेशक ईडब्ल्यूएस/डीजी अभिभावकों से सहानुभूतिपूर्वक बात करेंगे और उनकी शिकायतों का समय पर समाधान करेंगे।

7. दिल्ली के निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में सत्र 2025-26 के लिए ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश के लिए कम्प्यूटरीकृत ड्रा के माध्यम से आवंटन, केस संख्या डब्ल्यू.पी. (सी) 2646/2025, डब्ल्यू.पी. (सी) 2623/2025 और डब्ल्यू.पी. (सी) 2701/2025 में आदेश/निर्णय के परिणाम के अधीन है।

यह सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से जारी किया जाता है।

सु.वी.
सुशिता बीजू

उप शिक्षा निदेशक (पीएसबी)

एफ.डी.ई.15(258)/पीएसबी/ईडब्ल्यूएस/2025-26/ 2294-2301

दिनांक: 05/03/25

आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि:-

1. सचिव (शिक्षा), शिक्षा निदेशालय, जीएनसीटीडी के निजी सचिव।
2. निदेशक (शिक्षा), शिक्षा निदेशालय, जीएनसीटीडी के निजी सचिव।
3. अपर निदेशक (शिक्षा), शिक्षा निदेशालय, जीएनसीटीडी के निजी सचिव।
4. निदेशक (शिक्षा), एमसीडी, एनसीटी दिल्ली सरकार।
5. निदेशक (शिक्षा), एनडीएमसी, एनसीटी दिल्ली सरकार।
6. सभी क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, जीएनसीटीडी।
7. सभी डीडीई (जिला/जोन), शिक्षा निदेशालय, जीएनसीटीडी को दिल्ली के निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में प्रचार-प्रसार हेतु।
8. प्रभारी (कंप्यूटर सेल) को इस अनुरोध के साथ कि वे इस परिपत्र को निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट यानी www.edudel.nic.in पर सार्वजनिक परिपत्र के रूप में अपलोड करें।

सु.वी.
सुशिता बीजू

उप शिक्षा निदेशक (पीएसबी)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय: निजी स्कूल शाखा (पीएसबी)
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054.

सं. एफ.डी.ई.15(258)/ईडब्ल्यूएस/पीएसबी/2025-26/30-38

दिनांक 03/01/2025.

परिपत्र

विषय: शैक्षणिक सत्र 2025-2026 के लिए दिल्ली के निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों (अल्पसंख्यक स्कूलों को छोड़कर) में प्रवेश स्तर की कक्षाओं (प्री-स्कूल/नर्सरी, प्री-प्राइमरी/केजी और प्राइमरी/कक्षा-1) में ईडब्ल्यूएस/डीजी, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 में परिभाषित और दिव्यांग बच्चों की श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए दिशानिर्देश।

1. आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(सी) के अनुसार, सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल (अल्पसंख्यक स्कूलों को छोड़कर) आस-पड़ोस में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, वंचित समूह और सीडब्ल्यूएसएन से संबंधित बच्चों द्वारा प्रवेश स्तर (प्री-स्कूल/नर्सरी, प्री-प्राइमरी/केजी और प्राइमरी/कक्षा-1) कक्षा में कम से कम 25% क्षमता का प्रवेश देने और प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य हैं।
2. शिक्षा निदेशालय दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम एवं नियम, 1973 और आरटीई अधिनियम, 2009 के तहत निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश स्तर की कक्षाओं (प्री-स्कूल/नर्सरी, प्री-प्राइमरी/केजी और प्राइमरी/कक्षा-1) में कम्प्यूटरीकृत ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/वंचित समूह श्रेणी और दिव्यांग श्रेणी के बच्चों के लिए प्रवेश की सुविधा प्रदान कर रहा है। आवेदक निदेशालय की वेबसाइट यानी www.edudel.nic.in पर जाकर आवेदन करने के लिए होम पेज पर उपलब्ध "EWS/DG एडमिशन" लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।

3. प्रवेश -

- (1) ईडब्ल्यूएस श्रेणी- (ऐसा बच्चा जिसके माता-पिता की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है/बीपीएल/एएवाई कार्ड धारक और जो दिल्ली में रह रहे हैं)।
- (2) डीजी श्रेणी- (एससी/एसटी/ओबीसी-गैर-क्रीमी लेयर/अनाथ/ट्रांसजेंडर और एचआईवी से पीड़ित बच्चे) शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत 22% सीटों (ईडब्ल्यूएस/डीजी) के लिए निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों (अल्पसंख्यक स्कूलों को छोड़कर) में कम्प्यूटरीकृत लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा, अधिसूचना संख्या एफ.19/डीडीई (आईईडीएसएस)/एडमी.सेल/पीएसबी/2018/26923 दिनांक 23.07.2018 पढ़ें।
- (3) अधिसूचना संख्या एफ.19/डीडीई(आईईडीएसएस)/एडमी.सेल/पीएसबी/2018/26923 दिनांक 23.07.2018 के अनुसार, आरक्षित 25% सीट के भीतर 3% सीटें दिव्यांग बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन- विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे) के लिए होंगी।

4. शिक्षा निदेशालय, जीएनसीटीडी ने वर्ष 2016-17 से डीएसईएआर, 1973 के तहत मान्यता प्राप्त निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों (अल्पसंख्यक स्कूलों को छोड़कर) में कक्षा(ओं) के प्रवेश स्तर पर कम्प्यूटरीकृत ड्रा द्वारा ईडब्ल्यूएस/डीजी/सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी में सीटों के ऑनलाइन आवंटन की प्रक्रिया शुरू की और वर्ष 2018-19 से इसे आरटीई अधिनियम, 2009 के तहत मान्यता प्राप्त निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों (अल्पसंख्यक स्कूलों को छोड़कर) में इसे आगे बढ़ाया गया।
5. एमसीडी और एनडीएमसी द्वारा प्राथमिक स्तर (पाँचवीं कक्षा) तक मान्यता प्राप्त/अनंतिम रूप से मान्यता प्राप्त निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(सी) के अनुसार प्रवेश स्तर पर ईडब्ल्यूएस/डीजी/सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के दाखिलों के लिए कम्प्यूटरीकृत ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली में शामिल किया गया है, जिसके लिए एमसीडी और एनडीएमसी द्वारा अलग से परिपत्र/आदेश जारी किया जा सकता है। शिक्षा निदेशालय केवल एमसीडी और एनडीएमसी के तहत निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों बाद भी, बच्चे की उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। साथ ही, निदेशक (शिक्षा) द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 04.10.2023 के अनुसार, आवेदनों की दोहराव से बचने के लिए दिल्ली के निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में EWS/DG/CWSN के तहत प्रवेश स्तर पर प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए माता-के लिए ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत ड्रा की व्यवस्था कर रहा है। ईडब्ल्यूएस/डीजी/सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के छात्रों के प्रवेश/सीटों से संबंधित शिकायतों का निपटारा एमसीडी और एनडीएमसी अपने स्तर पर करेंगे।
6. एक मोबाइल नंबर का उपयोग करके केवल एक ही पंजीकरण किया जा सकता है। आवेदन/प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित सभी संचार केवल उसी फोन नंबर के माध्यम से किए जाएंगे।
7. ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के लिए एक आवेदक द्वारा एक बच्चे के लिए केवल एक ही आवेदन दाखिल किया जाएगा। एक बच्चे के लिए कई आवेदन दाखिल करने पर, प्रवेश के लिए लॉटरी में सफल होने के पिता/कानूनी अभिभावक का आधार नंबर जमा करना अनिवार्य है। हालाँकि, EWS/DG/CWSN श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बच्चे का आधार नंबर अनिवार्य नहीं है।
8. कोई बच्चा निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों (अल्पसंख्यक स्कूलों को छोड़कर) में ईडब्ल्यूएस/डीजी/सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के तहत प्रवेश स्तर पर प्रवेश के लिए आदेश संख्या डीई. 15(1025)/पीएसबी/2023/पीटी.फाइल/7706-7711 दिनांक 01.09.23 के अनुसार केवल एकमुश्त लाभ प्राप्त कर सकता है। ईडब्ल्यूएस/डीजी/सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के तहत पहले से ही प्रवेश प्राप्त बच्चा निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में ईडब्ल्यूएस/डीजी/सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए दोबारा आवेदन नहीं कर सकता है।
9. उक्त ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का कार्यक्रम इस प्रकार है:

प्रवेश कार्यक्रम

ईडब्ल्यूएस/डीजी/सीडब्ल्यूएसएन आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल खोला जाएगा।	03.02.2025
ईडब्ल्यूएस/डीजी और दिव्यांग बच्चों की श्रेणी के आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि।	19.02.2025
ईडब्ल्यूएस/डीजी और दिव्यांग बच्चों की श्रेणी के आवेदकों के लिए पहले कम्प्यूटरीकृत डा की तिथि	05.03.2025

ईडब्ल्यूएस/डीजी/सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए विस्तृत तंत्र डीओई, जीएनसीटीडी की आधिकारिक वेबसाइट यानी www.edudel.nic.in पर दिनांक 02/01/2025 के सार्वजनिक परिपत्र संख्या F.DE.15(258)/EWS/PSB/2025-26/14-19 पर पाया जा सकता है। दस्तावेजों की जांच और प्रवेश का आगे का कार्यक्रम कम्प्यूटरीकृत डा के बाद अधिसूचित किया जाएगा।

10. दिल्ली में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, जिसके पास दिल्ली का निवास प्रमाण और जीएनसीटीडी ऑफ दिल्ली के राजस्व विभाग द्वारा जारी अपेक्षित आय प्रमाण पत्र है, बीपीएल/एएवाई (राशन कार्ड/खाद्य सुरक्षा कार्ड धारक) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के तहत अपने बच्चे के प्रवेश के लिए इन निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

11. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/डीजी/सीडब्ल्यूएसएन

(क) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)

"आय प्रमाण पत्र (सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम) दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाना चाहिए"। आय प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि या आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन/रसीद ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले की होनी चाहिए। दिल्ली सरकार से जारी बीपीएल/एएवाई (राशन कार्ड/खाद्य सुरक्षा कार्ड धारक) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के तहत अपने बच्चे के प्रवेश के लिए इन निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में आवेदन करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत पात्र हैं।

(ख) वंचित समूह (डीजी) श्रेणी: -

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर)। अनाथ, ट्रांसजेंडर और एचआईवी से प्रभावित या उसके साथ रहने वाले सभी बच्चों को आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 2 (डी) में परिभाषित अनुसार वंचित समूह श्रेणी के रूप में माना जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) के पास दिल्ली के जीएनसीटीडी के राजस्व विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के साथ एक वैध गैर-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। अनाथ (अधिसूचना संख्या एफ.15(172)/डीई/एसीटी/2010/4926-40 दिनांक 17.10.2012), ट्रांसजेंडर (अधिसूचना दिनांक 09.10.2014) और एचआईवी से प्रभावित या उसके साथ रहने वाले सभी बच्चे (अधिसूचना दिनांक 06.07.2017) डीजी श्रेणी में शामिल किए जाएंगे। डीजी श्रेणी का लाभ लेने के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

(ग) विशेष आवश्यकता वाले बच्चे:-

दिव्यांग बच्चों की श्रेणी के अंतर्गत आवेदक के पास आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के अंतर्गत जारी मूल्यांकन, दिशा-निर्देशों में उल्लिखित सरकारी अस्पताल द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, संरक्षण या अधिकार और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996) के अंतर्गत जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद उसमें निर्दिष्ट अवधि के लिए वैध बना रहेगा। दिव्यांग बच्चों की श्रेणी के अंतर्गत आवेदक को आय प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता नहीं है।

12. आयु सीमा के संबंध में:- ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के लिए प्रवेश स्तर की कक्षाओं (प्री-स्कूल/नर्सरी, प्री-प्राइमरी/केजी और प्राइमरी/कक्षा-1) में प्रवेश के लिए पात्र आयु सीमा वही होगी जो पिछले वर्ष थी।

कक्षा	31.03.2025 तक आयु सीमा
प्री-स्कूल/नर्सरी	3-5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का जन्म 01.04.2020 से 31.03.2022 के बीच होना चाहिए
प्री-प्राइमरी/केजी	4-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का जन्म 01.04.2019 से 31.03.2021 के बीच होना चाहिए
प्राइमरी/कक्षा-1	5-7 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का जन्म 01.04.2018 से 31.03.2020 के बीच होना चाहिए

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आयु मानदंड:- दिव्यांग श्रेणी के बच्चों के पास सरकारी अस्पताल से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसा कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत जारी मूल्यांकन दिशानिर्देशों में उल्लिखित है। दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, संरक्षण या अधिकार और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) के तहत जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, उसमें निर्दिष्ट अवधि के लिए अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद भी वैध रहेगा। आदेश एफ. 265/डीडीई(आईडीडीएसएस)/प्रशासन सेल/2017-18/2609-2613 दिनांक 11.09.2017 ('बैचमार्क दिव्यांगता वाला व्यक्ति' निर्दिष्ट दिव्यांगता के चालीस प्रतिशत से कम नहीं वाले व्यक्ति के रूप में जहां निर्दिष्ट दिव्यांगता को मापने योग्य शर्तों में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें दिव्यांगता वाला व्यक्ति शामिल है जहां निर्दिष्ट दिव्यांगता को मापने योग्य शर्तों में परिभाषित किया गया है, जैसा कि प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है") और एफ.213/डीडीई(आईडीबी)/प्रशासन सेल/2022/6417-6431 दिनांक 09.08.2023 के क्रम में। दिव्यांग बच्चों की श्रेणी के लिए आयु मानदंड निम्नानुसार है:-

कक्षा	31.03.2025 को दिव्यांग बच्चों/सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के लिए आयु सीमा
प्री-स्कूल/नर्सरी	3-7 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का जन्म 01.04.2018 से 31.03.2022 के बीच होना चाहिए
प्री-प्राइमरी/केजी	4-8 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का जन्म 01.04.2017 से 31.03.2021 के बीच होना चाहिए
प्राइमरी/कक्षा-1	5-9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का जन्म 01.04.2016 से 01.04.2020 के बीच होना चाहिए

*सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी का लाभ लेने के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

13. प्रवेश के समय कैपिटेशन शुल्क/दान की मांग पर रोक के संबंध में।

कैपिटेशन शुल्क का अर्थ है स्कूल द्वारा अधिसूचित शुल्क के अलावा किसी भी प्रकार का दान, योगदान या भुगतान" राकेश गोयल बनाम मॉट फोर्ट स्कूल के मामले में एलपीए 196/2004 में माननीय उच्च

न्यायालय के आदेश और आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 13 (1) के अनुसार, कोई भी स्कूल या व्यक्ति, बच्चे को प्रवेश देते समय, कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा। माता-पिता से दान। कोई भी स्कूल या व्यक्ति जो इस प्रावधान का उल्लंघन करता है और कैपिटेशन शुल्क प्राप्त करता है, उस पर दंडनीय जुर्माना लगाया जाएगा जो कि ली गई कैपिटेशन राशि का 10 गुना हो सकता है।

14. आवासीय पता कम्प्यूटरीकृत डा के माध्यम से सीट आवंटन के लिए मुख्य मानदंड है। हालाँकि, यह देखा गया है कि माता-पिता/अभिभावक पसंदीदा स्कूल में प्रवेश पाने के लिए जानबूझकर गलत इलाका/उप-इलाका/उप-उप-इलाका चुनकर हेरफेर करते हैं। इसलिए, आवासीय पता (अर्थात् इलाका/उप-इलाका/उप-उप-इलाका) के संबंध में विवरण भरने के संबंध में ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म में आवश्यक संशोधन/परिवर्तन किए गए हैं। इसलिए के अंतर्गत: -

आवासीय पता	
स्थानीय	क्षेत्र
उप-स्थानीय	गाँव/कॉलोनी/अपार्टमेंट/सेक्टर/पॉकेट/ब्लॉक/गली आदि
उप-उप-स्थानीय	

यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि किसी बच्चे के पसंदीदा स्कूल में प्रवेश पाने के लिए उसके आवासीय पते के बारे में गलत जानकारी भरी गई है, तो बच्चे का आवेदन रद्द किया जा सकता है।

15. यदि दस्तावेजों की जांच के समय या बाद के चरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज जाली/नकली पाए जाते हैं, तो बच्चे का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। यदि ऑनलाइन आवेदन में भरे गए विवरण और दस्तावेजों की जांच के समय प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में भिन्नता पाई जाती है, तो बच्चे का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। आवेदन के समय माता-पिता/कानूनी अभिभावक द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा में बदलाव का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए बदलाव के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है।
16. यदि किसी भी चरण में एक से अधिक/डुप्लिकेट प्रविष्टियाँ/आवेदन पाए जाते हैं, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी/प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। कम्प्यूटराइज्ड डा के माध्यम से आवेदक को आवंटित स्कूल को किसी भी परिस्थिति में नहीं बदला जाएगा।
17. ईडब्ल्यूएस/डीजी/दिव्यांग बच्चों की श्रेणी में प्रवेश के ऑनलाइन आवेदन से संबंधित प्रश्नों और शिकायतों के निवारण और डीओई द्वारा जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुसार कम्प्यूटरीकृत डा के माध्यम से चयनित सफल उम्मीदवारों के प्रवेश को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले में शिक्षा उप निदेशक (जिला) की अध्यक्षता में एक निगरानी सेल और हेल्पडेस्क का गठन किया जाएगा।
18. उपर्युक्त के अलावा, डीओई के निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में ईडब्ल्यूएस/डीजी और दिव्यांग बच्चों की श्रेणी में प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 9818154069 (सभी कार्य दिवसों (सोमवार से शुक्रवार) पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच) पर शिकायत या प्रश्न उठाए जा सकते हैं।

19. एमसीडी और एनडीएमसी द्वारा मान्यता प्राप्त निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नों और शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र एमसीडी और एनडीएमसी द्वारा अलग-अलग निपटाया जाएगा।

उपरोक्त सभी निर्देश सभी संबंधितों द्वारा राखत अनुपालन के लिए जारी किए गए हैं और आदेश का अनुपालन न करने को गंभीरता से लिया जाएगा।

यह सशाम पाठिकांसी की पूर्व स्वीकृति से जारी किया गया है।

सु. बी
03/1/25
(सुशिता बीज)

उप निदेशक (शिक्षा)

सं. एफ.डी.ई.15(258)/ईडब्ल्यूएस/पीएसबी/2025-26/30-38

दिनांक 03/01/2025

प्रतिलिपि: -

1. आयुक्त (एमसीडी) के निजी सचिव को अनुरोध है कि वे अपने निदेशकों (शिक्षा) को बाद में प्रवेश नोटिस, हेल्पलाइन नंबर और निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश स्तर पर ईडब्ल्यूएस/डीजी/सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के तहत प्रवेश के संबंध में शिकायतों और प्रश्नों के निवारण के लिए तंत्र जारी करने के लिए निर्देश जारी करें।
2. सचिव (शिक्षा), शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार के निजी सचिव।
3. निदेशक (शिक्षा), जीएनसीटीडी के निजी सचिव।
4. निदेशक (शिक्षा), एमसीडी को बाद में प्रवेश नोटिस जारी करने के अनुरोध के साथ।
5. निदेशक (शिक्षा), एनडीएमसी को बाद में प्रवेश नोटिस जारी करने के अनुरोध के साथ।
6. हेल्पलाइन नंबर। और उनके निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश स्तर पर ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के तहत प्रवेश के संबंध में शिकायतों और प्रश्नों के निवारण के लिए तंत्र।
7. सभी डीडीई जिलों को आवश्यक अनुपालन के लिए।
8. एसओ (आईटी) को विभागीय वेबसाइट पर सार्वजनिक परिपत्र के रूप में परिपत्र अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
9. गार्ड फाइल।

सु. बी
03/1/25
(सुशिता बीज)

उप निदेशक (शिक्षा)

ANNEXURE-A**ADMISSION SCHEDULE****TIMING : 10:30 A.M. to 04:30 P.M.**

Scrutiny of documents by 29 zonal authorities of all the allotted candidates through computerized draw of lots. Reasoned speaking order shall be passed by DDE Zone to recommend the candidate for admission.	06th March to 29th March
Final opportunity to be given to the non-reported allotted candidates for scrutiny of documents.	31th March to 05th April
If any discrepancy found during scrutiny of documents, candidates shall submit requisite documents for admission.	06th March to 11th April
Final reasoned speaking order in r/o left out cases shall be passed by DDE Zone	07th April to 22th April
If Parents are not satisfied with the order of zonal authorities, can file appeal to DAMC against the order passed by Zonal Authorities.	23th April to 08th May
DAMC will examine & pass final orders on appeal.	09th May to 20th May
Recommended candidates shall get admission in respective allotted schools.	06th March to 26th May
Second computerized draw of lots	To be notified later

ANNEXURE-B

COMPLETE ADDRESS OF THE DOCUMENT VERIFICATION CENTRES WHEREIN SCRUTINY OF DOCUMENTS TO BE DONE OF ALLOTTED CANDIDATES THROUGH THE COMPUTERIZED DRAW OF LOTS FOR THE SESSION 2025-26 IN RESPECT OF **DIRECTORATE OF EDUCATION (DOE).**

District	Zone	Complete address of the location wherein Scrutiny of Documents of allotted candidates to be done.	Name of the Nodal Officer & Contact Number.
EAST	1	SBV, Vivek Vihar (School ID-1001002)	Sh. Alok Kumar, Mob. No. - 7834864684
	2	RSBV No.2 Shakarpur (ID-1002004),	Sh. Pankaj Chaubey, Principal, Contact No-9899106123
	3	SBV Rani Garden - 1003002	Mr. Rajan Kumar (Principal) Contact No:- 9990999133
North East-I	4	RPVV, B-Block, Yamuna Vihar, Delhi – 53	Mr. Hari Raj Singh, 8077208996
North East-II	5	Shahdara GT Road SKV School ID- 1105024	Archana Jain, Principal 9650290692
	6	GBSSS, C-Block Dilshad Garden, Delhi. School ID-1106002	DR. PREM KISHORE SHARMA, Principal 9818494987
NORTH	07	MULTIPURPOSE HALL, SV LANCER ROAD SCHOOL ID :1207032	Dr. Sanjeev Kumar , Vice principal, GBSS Kamla Nagar school id :1207027 Mobile no.8527108464
	08	SV Lancer Road (1208032)	Ms. Kiran Rashpa, principal mobile no. 8447462928
North West-A	09	SBV, BT Block Shalimar Bagh, (School ID:1309005) Delhi-110088	Sh. Vikram Yadav, Principal, SBV BT Block Shalimar Bagh (School ID:1309005)(M. No.: 9868282431), Delhi-110088.
	10	GSKV, Prahladpur Banger, Delhi Bawana Road Delhi-110042.	Dr. Anjali Khatri (Principal) Contact No: 9555639155
North West B-I	11	GBSSS, SU Block, Pitampura,1411017	Mr. Sunil Kumar 9212164849
	12	DDE, ZONE-12, Room no. 9 (Hall), Q- Block, Mangolpuri, Delhi-110083.	Mr.Sandeep Malik 9896534811
NWB-II	13	Shaheed Captain Sanjeev Dahiya Sarvodaya Vidyalaya SEC-9 ROHINI School Id (1413010)	Ms. Shweta, Vice Principal Mob- 8816099986
West A	14	Zone-14 of District West-A, New Moti Nagar, karampura New Delhi-110015. Opposite of Sarvodaya Co-ed Senior Secondary School (School Id- 1516068)	Sh. Pawan Kumar (HOS) 9818478702

	15	Sarvodaya Vidyalaya, East Punjabi Bagh, New Delhi-110026, School ID 1515004 (Near Swami Shivanand Memorial School)	Sh. Prabhat Kumar (HOS) 8709584344
	16	Govt. Co-Ed SS School, Industrial Area, Karampura, New Delhi 110015 School Id 1516068	Sh. Anuraj Yadav (HOS), 9711154564
WEST-B	17	GBSSS, G-BLOCK, VIKASPURI (1618010)	MS. SHWETA KUMAR PRINCIPAL 9711797680
WEST-B	18	GBSSS, G-BLOCK, VIKASPURI (1618010)	MR. RAJPAL PRINCIPAL 9990029444
South West A	19	Zonal Office of Zone-19, C-4 Directorate of Education, Vasant Vihar, New Delhi-110057	RAM PRAVESH MISHRA (9810813993)
	20	Govt. (Co-ed.) M.S.V. Vihar (1720174), C-4 Lane Vasant Vihar, New Delhi - 110057	Ruchi Tandon (9818581316)
South West B-1	21	Govt. Co-ed SSS Dwarka, Sector-II (School ID:- 1821029), Sector-2, Dwarka, New Delhi-110075	Sh. Prem Dutt. Sharma (Principal) 9871290545
SW B-II	22	MP Hall, Sarvodaya Vidyalaya, Najafgarh (Sch ID.- 1822002)	Sh. Pradeep Kumar, (Principal, SV Najafgarh) Mob. No. - 9899799516
South	23	School Hall, R. K. PURAM, SEC-3-S(CO-ED)V (1719103)	Sh. Mohd. Idris, Supervisor (IE) Zone 23 , Ph no. 9911237733
South	24	Room No 1 Govt. Coed SSS R. K Puram Sec-3 School ID-1719103 New Delhi:-110022	Sh. Deepak Singh, Supervisor IE Zone-24. Mobile No. 9528157762
NEW DELHI	26	Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Pandara Road, New Delhi -03	Mrs. Vinita Bahal 9811032589
Central	27	Dy. Director of Education Zone 27, Distt. Central Plot No. 5, Jhandewalan New Delhi - 110005	MS. SONA KUMARI, Principal 7359400901
Central	28	Office of the DDE, Zone-28, Plot no.5, Jhandewalan, Delhi	Sh. Ajay Kumar (Principal) Mob.: 9555543891 SBV, Plot No. 6, Jhandewalan, Delhi
South East	25	SKV Andrews Ganj , School ID-1924033 6th Main Rd, Andrews Ganj, New Delhi, Delhi 110049.	Mrs. Neeru Sharma, Principal (9810938306)
	29	GEORGI STOIKOV RAKOVSKI SARVODAYA KANYA VIDYALAYA C-BLOCK DEFENCE COLONY SCHOOL ID: (1924023), NEW DELHI-110024	Sh. Quayamuddin, Principal (9990190138).



MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI
EDUCATION DEPARTMENT: HQ
Dr. Shyama Prasad Mukherjee Civic Centre
E Block, 15th Floor, JLN Marg, New Delhi-02



No. D/934/ADE/Grant/Edu./HQ/MCD/2025

Dated: 03/03/2025

Revised List

To,
The Deputy Director of Education (PSB)
Directorate of Education, GNCTD,
Old Secretariat,
Delhi-110054

Sir,

In reference to letter no D/77/ADE/Grant/Edu./HQ/MCD/2025 dated 14/02/2025 the details and location wherein the scrutiny of the allotted candidates for the session 2025-26 session is to be done and the name and contact number of Nodal officer are as follows

Sr. no.	Zone	Complete address of the location wherein Scrutiny of Documents of allotted candidates to be done.	Name of the Nodal Officer	Contact no.
1.	Central	MCD PRIMARY SCHOOL, VINOBA PURI, LAJPAT NAGAR- 110024	OM PRAKASH MEENA	8588855340
2.	South	MCD PRIMARY SCHOOL DR. AMBEDKAR NAGAR SEC- 2, JJ COLONY KHANPUR WEST, NEW DELHI-110062	RAM DAYAL MEENA	9971215363
3.	West	MCD PRIMARY SCHOOL (CO-ED), TATAR PUR, DELHI-110027	PRAGI LAL	8588880380
4.	Karol Bagh	MCD ZONAL OFFICE, NIGAM BHAWAN, KAROL BAGH, TOP FLOOR, EDUCATION DEPARTMENT, KBZ, D.B. GUPTA ROAD, ANAND PARBAT, NEW DELHI- 110005	AMIT MITTAL HIMANSHU BANSAL	9212391289 9873725018
5.	Narela	MCPS BANKNER BOYS, NEAR GOVT BOYS SENIOR SECONDARY SCHOOL BANKNER, BANKNER ROAD, NARELA DELHI- 110040	SH. VIKAS KUMAR	9013497395
6.	City SP	MCD UTKRISHT VIDYALAYA, TURKMAN ROAD NO.2 (CO-ED) 2162003, MAHARAJA RANJIT SINGH MARG, (OPP. GURUNANAK EYES HOSPITAL), NEW DELHI-110002	PAWAN KUMAR KHERA	8588889175
7.	Civil Line	MCPS NEHRU KUTIYA, OPPOSITE HANSRAJ COLLEGE, DELHI- 110007	VIKAS BHATI MANISH MANN	8826649816 9818903180
8.	Rohini	MCPS ROHINI SECTOR-5B, ROHINI DELHI- 110085	AMAN	9802601437
9.	Kehtavpuram	MC PRIMARY SCHOOL, NIMARI COLONY, NEW DELHI- 110052	MUKESH RANA	9811383121
10.	Sh. South	MC PRIMARY SCHOOL COMPLEX, D-BLOCK, ANAND VIHAR- 110092	RAKESH KUMAR	8700442071
11.	Sh. North	OFFICE OF DY. DIRECTOR EDUCATION EDUCATION DEPTT. SHAHDARA (NORTH) ZONE BHISHM PITAMAH MARG, KESHAV CHOWK, OPPOSITE WELCOME METRO STATION, WELCOME, DELHI-110053	MR. DHRUW SAH	9818803542
12.	Najafgarh	ROOM NO-419, IV FLOOR, EDUCATION DEPARTMENT, NAJAFGARH ZONE, DHANSA STAND, NEW DELHI- 110043	NARESH KUMAR	9811351996

Asstt. Director of Education (Grant-in-Aid)
Municipal Corporation of Delhi
Grant-in-Aid Branch (PSB)
Municipal Corporation of Delhi

All Zonal DDEs/ADEs

Copy forwarded to:-

1. Director(Edu.)
2. All Addl. Directors of Education

COMPLETE ADDRESS OF DOCUMENT VERIFICATION CENTRES
WHEREIN SCRUTINY OF DOCUMENTS OF ALLOTTED CANDIDATES TO
BE DONE FOR THE SESSION 2025-26 UNDER THE JURISDICTION OF
NDMC (NEW DELHI MUNICIPAL CORPORATION)


S.No.	Complete address of the location wherein Scrutiny of Documents of allotted candidates to be done.	Name of the Nodal Officer	Contact
1	NDMC School of Science & Humanities Education at Tughlak Crescent, New Delhi-110011	Mr. Shailendra Kumar Priyadarshi	8860123429

ANNEXURE-C

NODAL OFFICERS AT DISTRICT LEVEL TO RESOLVE ANY GRIEVANCE RELATED TO ADMISSOIN UNDER EWS/DG/CWSN CATEGORY FOR SESSION 2025-26 IN RESPECT OF **DIRECTORATE OF EDUCATION (DOE)**.

S.No.	Name of District	address of district	Name of Nodal officer	designation	contact number
1	South East	MP Hall, O/o District South East, C-Block Defence Colony, New Delhi	Ms. Chhavi Pandit	EVGC Nodal Incharge (Distt. South East)	9650310383
2	East	Office of the Dy. Director of Education (East), D-Block, Anand Vihar, Delhi-110092	Shajan John K.	Section Officer	9810312730
3	North	Office of Deputy Director, District North, Lucknow Road, Delhi-110054	Dr. Neeraj Kumar Verma	Principal Nehru Vihar-GBSSS (sch. Id -1207114)	9968442200
4	Central & New Delhi	Districts Central & New Delhi, Plot No.5, Ashoka Hill Jhandewalan, New Delhi-110005	Sh. Brahamjeet Singh	Vice Principal	08630177203
5	South West B-1	O/o DDE SW-B-1, GGSSS No-1 Complex, Najafgarh, New Delhi-110043	Sh. Prem Dutt. Sharma	Principal	9871290545
6	North East-I	Office of Deputy Director of Education B-Block Yamuna Vihar Delhi-110053	Mr. Kailash Kumar	Vice Principal	9868341716
7	SW B-II	O/o Dy. Director of Education, GGSSS, No.-2, Najafgarh, New Delhi-43	Sh. Pradeep Kumar	Principal	9899799516
8	West A	New Moti Nagar, Karampura, New Delhi 110015	Mr. Harish Kumar	Vice Principal / HOS	9968394594
9	WEST-B	DISTRICT WEST – B, G-BLOCK, VIKASPURI, NEW DELHI – 110018	MS. VIJAY LAKSHMI	PRINCIPAL GOVT. GIRLS SR. SEC. SCHOOL J. J. COLONY, NANGLOI, DELHI (SCHOOL ID-1617035)	9313847999
10	NORTH EAST-II	SKV E BLOCK NAND NAGARI	MR. SHYAM SUNDER SHARMA	VICE PRINCIPAL	9910817751
11	South West – A	C-4, Vasant Vihar, New Delhi – 110057	Ms. Yasmin Vashist	Counsellor In-Charge, EVGC(SW-A)	9868152370
12	South	O/o Deputy Director of Education, District South, R K Puram	Md. Idris Zahir	Supervisor/ Coordinator (IE)	9911237733

		Sector III New Delhi-110022			
	South	O/o Deputy Director of Education, District South, R K Puram Sector III New Delhi-110022	Deepak Singh	Supervisor (IE)	9528157762
13	North West B-I	Office of DDE North West B1, FU Block, Pitampura, Delhi	Mrs. Savita Joon	Principal	9212073100
14	North West(B-II)	FU-Block, Pitampura, Delhi-110088	Ms. Shweta	Vice Principal	8816099986
15	North West-A	Room No. 15, O/o DDE District NW-A, BL Block Shalimar Bagh, Delhi-88.	Sh. Mukesh Kumar	Vice Principal	9650830754
			Smt. Monika Biswas, She will be the link officer of Sh. Mukesh Kumar	Vice Principal	9540349900



MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI
EDUCATION DEPARTMENT: HQ
Dr. Shyama Prasad Mukherjee Civic Centre
E Block, 15th Floor, JLN Marg, New Delhi-02

No. D/930/ADE/Grant/Edu./HQ/MCD/2025

Dated: 28/02/2025

To,
The Deputy Director of Education (PSB)
Directorate of Education, GNCTD,
Old Secretariat,
Delhi-110054

Sir,

In reference to the upcoming admission cycle (for academic year 2025-26) for EWS/DG & CWSN students under section 12(1)(c) of RTE. South DMC is ready to bring onboard the online EWS/DG admission process starting for improving the coordination between the Public and Education Department, MCD and strengthens overall monitoring of the admission process.

In this regard, All Zonal DDEs are appointed as Nodel Officer for their respective zone.

The details of Nodal Officer are as under:-

Sr. no.	Zone	Nodel Officer	Designation	Contact no.	ADDR.
1.	Central	Om Prakesh Meena	School Inspector	858885340	Room No. 309, 3 rd Floor, MCD Zonal Office, Jal Vihar, Lajpat Nagar, New Delhi-110024
2.	South	Ram Dayal Meena	School Inspector	9971215363	Room no. 43, IInd Floor, MCD Edu. Green Park, New Delhi-110016
3.	West	Pragilal	School Inspector	9958375603	Dr. Sahib Singh Verma, Nigam Bhawan Edu. Deptt. 5 th Floor, New Delhi-110027
4.	Keshavpuram	Sita Ram Meena	School Inspector	858889572	MCPS C-7, Surajkunj, Edn. Department, Keshavpuram, Delhi-110035
5.	Najafgarh	Hari Ram Meena	School Inspector	9012300532	Room no. 418, Edn. Department, DC Office, Near Dhasa Bus Stand, New Delhi-110043
6.	Rohini	Dharmveer	Teacher Cum IT Incharge	9266606045	Room no. 109, Edn. Deptt. DC Office Building Sector-5, Rohini
7.	Shahdara South	Sanjay Kumar	School Inspector	8588810307	419, Udhog Sadan, Parparganj, Ind. Area Delhi-110092
8.	Shahdara North	Dhruw Sah	School Inspector	9818803542	MCD, Zonal Office, Edn. Deptt. Keshav Chowk
9.	City S.P.	Pawan Kumar Khera	School Inspector	858889175	Room no. 119, First Floor, Old Hindu College, Nigam Bhawan, Kashmiri Gate, Delhi-06
10.	Karol Bagh	Sadhna Meena	School Inspector	858889276	Nigam Bhawan, D.B. Gupta Marg., Anand Parvat, Karol Bagh, New Delhi-110005
11.	Civil Lines	Ravindra Pratap Singh	School Inspector	858888892	Room no. 509, 5 th Floor, Edu. Deptt., 16, Rajpur Road, Civil Lines, Delhi-110054
12.	Narela	Mahipal	School Inspector	8053144934	Room no. 202, 2 nd Floor, DC Office Edn. Department, Narela, Delhi-110040

All Zonal DDEs are hereby directed to receive all the grievances/ complaints and take necessary action to dispose of online/offline as per new system on EWS/DG admission.

Asstt. Director of Education (Grant-in-Aid)
Municipal Corporation of Delhi
Grant-in-Aid Branch (HQ)
Municipal Corporation of Delhi

All Zonal DDEs/ADEs

Copy forwarded to:-

1. Director(Edu.)
2. All Addl. Directors of Education

ANNEXURE-E

NODAL OFFICERS AT DISTRICT LEVEL TO RESOLVE ANY GRIEVANCE RELATED TO ADMISSOIN UNDER EWS/DG/CWSN CATEGORY FOR SESSION 2025-26 IN RESPECT OF NEW DELHI MUNICIPAL CORPORATION (NDMC).

S.No.	Name and Employee ID of the Nodal officer	Designation	Address	contact number
1	Shailendra Kumar Priyadarshi	Dy. Education Officer (B)	NDMC School of Science & Humanities Education at Tughlak Crescent, New Delhi 110011	8860123429